दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

रि.या.(सि.) 2568/2013 और सि.वि. सं. 4850/2013

निर्णय की तिथि: 17 दिसंबर, 2013

बाबू राम ..... याचिककर्ता

द्वारा : श्री एम.रईस फारूकी और श्री एस.ए.आब्दी, अधिवक्तागण।

बनाम

भारत संघ और अन्य ..... प्रत्यर्थीगण

द्वारा : श्री आर.वी.सिन्हा और श्री पी.के.सिंह, अधिवक्तागण।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री गीता मित्तल
माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

गीता मित्तल (मौखिक)

1. इस मामले में याचिकाकर्ता ने रोजगार समाचार में दिनांक 28 मई, 2011 को प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार केंद्रीय पुलिस संगठन में उप-

निरीक्षक(एसआई)/सहायक उप-निरीक्षक(एएसआई) के पद हेतु चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। यह निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता एक भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी था जिसने अनुसूचित जाति श्रेणी में आवेदन किया था और इसलिए वह आयु में छूट का हकदार है।

2. याचिकाकर्ता ने लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षण, चिकित्सा परीक्षण और साक्षात्कार में सफलतापूर्वक भाग लिया। याचिकाकर्ता की शिकायत है कि दिनांक 1 मार्च, 2012 को घोषित परिणाम के अनुसार, उसके सफलतापूर्वक भाग लेने के बावजूद, याचिकाकर्ता को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया। दिनांक 4 जुलाई, 2012 और दिनांक 5 फरवरी, 2013 को उसके द्वारा दिए गए अभ्यावेदन की भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

3. प्रति-शपथपत्र में प्रत्यर्थीगण ने यह रुख अपनाया है कि याचिकाकर्ता की आयु अधिक थी और इसलिए उसे नियुक्ति नहीं दी गई। इसकी प्रतिक्रिया में याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि भले ही वह सीआईएसएफ(केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल), बीएसएफ(सीमा सुरक्षा बल), सीआरपीएफ(केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल) में उप-निरीक्षक के ग्रुप बी पद पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने के लिए अधिक आयु का हो, किंतु वह सीआईएसएफ, ग्रुप सी पद में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु आयु मानदंड के भीतर था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमने याचिकाकर्ता के मूल अभिलेख, (जिसमें उसने जो आवेदन प्रस्तुत किया था, भी शामिल है) की मांग की थी। यह अभिलेख प्रस्तुत किया गया है और हमने उसका परिशीलन किया है।

4. अभिलेख प्रत्यर्थीगण द्वारा स्थापित मामले की पुष्टि करता है। प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 28 मई, 2011 के विज्ञापन में निम्नलिखित पद हेतु रिक्तियों की पेशकश की थी:

क्र.सं.	पद कोड	पद का नाम	पद श्रेणी
1.	क	सीआईएसएफ मे उप.नि	ग्रेड 'बी' पद
2.	ख	सीआईएसएफ में सहा.उप.नि.	ग्रेड 'सी' पद
3.	ग	बीएसएफ मे उप.नि.	ग्रेड 'बी' पद
4.	घ	सीआरपीएफ मे उप.नि.	ग्रेड 'बी' पद
5.	ङ	आईटीबीपी मे उप.नि.	ग्रेड 'बी' पद
6.	च	एसएसबी मे उप.नि.	ग्रेड 'बी' पद
7.	छ	एनसीबी मे अन्वेषक अधि.	ग्रेड 'बी' पद

5. जहां तक प्रत्यर्थी द्वारा प्रमाणित आयु मानदंड का संबंध है, यह अधिसूचित किया गया था कि अभ्यर्थियों की आयु निर्धारित कट-ऑफ तिथि दिनांक 24 जून, 2011 को 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

6. परीक्षा की सूचना में आगे निम्नलिखित विशिष्ट निर्देश दिए गए:

"4. आयु सीमा के संबंध में, परीक्षा की सूचना निम्नानुसार बताई गई है:

"पैरा 4 (क) आयु सीमा: सीओपी (केंद्रीय पुलिस बल) में उप-निरीक्षक और सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक के पद हेतु: दिनांक 24.06.2011 तक 20-25 वर्ष, जो आवेदन प्राप्त करने की सामान्य अंतिम तिथि है। अभ्यर्थियों का जन्म दिनांक 25-06-1986 से पहले और दिनांक 23-06-1991 के बाद नहीं होना चाहिए।

एनसीबी में आसूचना अधिकारी के पद हेतु आयु सीमा दिनांक 24-06-1984 तक 20-27 वर्ष है। अभ्यर्थियों का जन्म दिनांक 25-06-1984 से पहले और दिनांक 23-06-1991 के बाद नहीं होना चाहिए।

4 (ख). गणना की तिथि के अनुसार आयु में छूट का दावा करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध श्रेणी कोड और आयु में छूट:

कोड	श्रेणी	आयु में छूट की अनुमति ऊपरी आयु सीमा से परे
xx	xx	xxx xxx
	ग्रुप बी पद के लिए	
08	भूतपूर्व सैनिक (एससी/एसटी)	10 वर्ष
xx	xx	xxx xxx
11	ग्रुप सी पद के लिए	अंतिम तिथि तक वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की कटौती के बाद 08 वर्ष (3 वर्ष + 5 वर्ष)।

आयोग द्वारा अपनी सभी परीक्षाओं के संचालन हेतु इस सूचना को रक्षणीय माना जाता है और आयोग इसकी शर्तों का सख्ती से पालन करता है। अभ्यर्थी भी इसके प्रावधानों से समान रूप से आबद्ध हैं।"

7. हम सूचना के पैरा 12 के नोट-I और नोट II में दी गई शर्तों का संदर्भ ले सकते हैं:

> 'नोट 1: परीक्षा में सफलता से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिलता, जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त है।

नोट II: परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश पूर्ण रूप से अनंतिम होगा, बशर्ते कि वे विहित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। यदि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से पहले या बाद में किसी भी समय सत्यापन पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।"

8. याचिकाकर्ता ने कोड संख्या जी, ई, ए, सी, एफ और डी वाली वरीयता का विकल्प चुना था। उसने कोड बी के लिए कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किया, जो सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक पद से संबंधित है।

9. याचिकाकर्ता ने केवल ग्रुप बी पदों का भी चयन किया था तथा ग्रुप सी पदों का चयन नहीं किया था।

10. पैरा 4 (ख) के प्रावधानों के अनुसार, अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में याचिकाकर्ता ग्रुप बी पद पर नियुक्ति हेतु 10 वर्ष की आयु में छूट का हकदार था। याचिकाकर्ता का जन्म दिनांक 15 मई, 1974 को हुआ था। आयु-वार पात्रता के संबंध में, प्रत्यर्थीगण ने दिनांक 24 जून, 2011 को

अंतिम तिथि बताई थी। इस तिथि तक, याचिकाकर्ता की आयु लगभग 37 वर्ष हो चुकी थी।

11. जहां तक ग्रुप बी पद पर नियुक्ति का सवाल है, याचिकाकर्ता एक भूतपूर्व सैनिक सह अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी के रूप में ग्रुप बी पदों के लिए भर्ती सूचना के पैरा 4 (ख) में उल्लिखित 10 वर्ष की आयु में छूट का हकदार था। हमने ऊपर विभिन्न रिक्तियों के लिए निर्धारित नियमों को देखा है। अभ्यर्थी की आयु 20 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भले ही याचिकाकर्ता को 10 वर्ष की आयु में छूट दी गई थी, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वह दिनांक 24 जून, 2011 को 27 वर्ष का था और इसलिए ग्रुप बी पद पर चयन के उद्देश्य से उसकी आयु दो वर्ष अधिक थी।

12. याचिकाकर्ता ने बताया कि प्रत्यर्थीगण ने उपरोक्त परीक्षा के आधार पर आईटीबीपी में उसके चयन और नियुक्ति की सिफारिश की थी। यद्यपि, साक्षात्कार के बाद जांच के समय पाया गया कि उसकी आयु अधिक है और इसलिए उसे नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।

13. प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रति-शपथपत्र में यह पक्ष रखे जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि वह सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु पात्र था, जिसकी रिक्ति प्रत्यर्थीगण ने अपने

विज्ञापन में अधिसूचित की थी। यह पद ग्रुप सी का पद है। प्रत्यर्थीगण ने बताया है कि याचिकाकर्ता ने केवल छह ग्रुप बी पदों के लिए चयन किया था और ग्रुप सी के किसी भी पद के लिए चयन नहीं किया था। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा याचिकाकर्ता से प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत निम्नलिखित अधिमानों को दर्शाता है:

	"<u>अधिमान क्रम</u>	<u>कोड</u>
1.	नारकोटिक्स नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) में आसूचना अधिकारी	जी
2.	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आईटीबीपी) में उप-निरीक्षक	ई
3.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में उप-निरीक्षक	ए
4.	सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में उप-निरीक्षक	सी
5.	सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में	एफ

उप-निरीक्षक

6. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल डी (सीआरपीएफ) में उप-निरीक्षक

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक के पद हेतु विकल्प प्रस्तुत नहीं किया था, जो कि ग्रुप सी का पद था।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निरुत्साह से मौखिक प्रस्तुति दी गई है कि कर्मचारी चयन आयोग ने याचिकाकर्ता के आवेदन में छल साधन किया है। इसे केवल अस्वीकृति के लिए ही नोट किया गया है। रिट याचिका में ऐसा कोई मुद्दा उद्भूत नहीं किया गया है।

15. याचिकाकर्ता को अपनी जन्मतिथि के साथ-साथ स्वीकार्य छूट के संबंध में शर्त के विषय में भी पता था और इसलिए वह इस तथ्य से भी भली-भांति परिचित होगा कि वह ग्रुप बी पद की नियुक्ति हेतु आयु मानदंड को पूरा नहीं करता। उसके द्वारा किसी भी समय इस आशय का कोई प्रतिनिधित्व नहीं किया गया कि उसने सीआईएसएफ में सहायक उप-निरीक्षक (ग्रुप सी पद) के पद के लिए आवेदन किया था। रिट याचिका में, याचिकाकर्ता अभी भी ग्रुप बी पद, उप-निरीक्षक के पद पर अपनी नियुक्ति हेतु रिट जारी करने की मांग कर रहा

है। इस कारण से भी, याचिकाकर्ता द्वारा इस आशय का मौखिक प्रस्तुतीकरण कि वह ग्रुप सी में नियुक्ति के लिए हकदार है, अस्वीकार किए जाने योग्य है।

16. इन सभी कारणों से, हमें रिट याचिका में कोई गुणागुण नहीं मिलते।

तदनुसार, रिट याचिका और आवेदन खारिज किया जाता है।

न्या. गीता मित्तल,

न्या. दीपा शर्मा,

दिसंबर 17, 2013/ आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्झेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*